

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/ 549 /2024, लखनऊ :: दिनांक मई 22 , 2024
-:: संशोधित आदेश ::-

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ द्वितीय, आगरा ने पत्र संख्या-75/2024 दिनांक 21.05.2024 द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 11.06.2024 व 12.06.2024 को आकस्मिक अवकाश पर है जिसके कारण आगरा जनपद में दिनांक 10.06.2024 से 13.06.2024 तक पूर्व गठित युगल पीठ को शिफ्ट किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति पर सम्यक रूप से विचार करते हुए पूर्व निर्गत आदेश सं0 469/2024 दिनांक 02.05.2024 को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए जनपद आगरा में दिनांकित 10.06.2024 से 12.06.2024 तक गठित खण्ड पीठ निरस्त जाती है और उसके स्थान पर दिनांक 20.06.2024 से 22.06.2024 तक गठित की जाती है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/- 22.05.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक ::यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ -1 व 2, आगरा।
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ 1, इलाहाबाद।
- 3- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
- 4- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से


निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।